मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1773

10.03.2025 को उत्तर के लिए

नदियों में अपशिष्ट को प्रवाहित करना

1773. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

श्री हनुमान बेनीवालः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राजस्थान के पाली, बालोतरा और जोधपुर जिलों तथा भांडू गांव में बांडी, लूनी और जोगरी नदियों में कारखानों और सीवरेज द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट के कारण कृषि भूमि बंजर हो रही है तथा तालाब और पेयजल संसाधन दूषित हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एनजीटी के दिशानिर्देशों का पूर्णतया अनुपालन किया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार सार्वजनिक, पशु और पारंपरिक जल स्रोतों को प्रदूषित जल से बचाने के लिए कोई प्रभावी योजना बनाने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक तैयार किए जाने की संभावना है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ)

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 में "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)" शुरू की थी, जिसका उद्देश्य खेतों तक पानी की प्रत्यक्ष पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, सतत जल संरक्षण

कार्यों को शुरू करना आदि है। हर खेत को पानी (एचकेकेपी) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के घटकों में से एक है। सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) योजना अब पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी का हिस्सा बन गई है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) योजनाओं के अंतर्गत सिंचाई क्षमता (आई.पी.) के सृजन और पुनर्स्थापन के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान करता है। इसके अलावा, 4580 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय और एसएमआई और जल निकायों की आरआरआर स्कीमों के लिए 4.50 लाख हेक्टेयर की लक्षित सिंचाई क्षमता के साथ पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी को वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिसंबर, 2021 में मंजूरी दी गई है।

दोनों योजनाओं (एसएमआई और जल निकायों के आरआरआर) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता (सीए) अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है, जो विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत का 100% है। विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों, और 7 पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम एवं पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए केन्द्रीय सहायता परियोजना लागत का 90% है। इसके अलावा, एसएमआई योजना के तहत केंद्रीय सहायता/अनुदान विशेष क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 60% है, जैसे कि ओडिशा के अविभाजित कोरापुट, बोलनगीर और कालाहांडी (केबीके) जिले, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, बाढ़ प्रवण क्षेत्र, डीपीएपी (सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम) क्षेत्र, अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी) क्षेत्र। आरआरआर जल निकायों की योजना के तहत केंद्रीय सहायता अन्य सभी श्रेणियों के लिए परियोजना लागत का 60% है। एसएमआई योजना में सिक्किम और पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड)/संघ राज्य क्षेत्रों और सामान्य श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विशेष क्षेत्रों सहित 7 पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं, जबकि जल निकायों की आरआरआर योजना पूरे देश को कवर करती है। पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के एसएमआई और जल निकायों के आरआरआर घटक के रूप में जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार और वर्षवार विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

सीपीसीबी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी/पीसीसी) के सहयोग से जल संसाधनों की जल गुणवत्ता की स्थिति का आकलन करने और जल निकायों में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण को सुगम करने के लिए एक राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क (एनडब्ल्यूएमपी) की स्थापना की है। एनडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों में 4736 स्थानों पर जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क मौजूद हैं, जिनमें नदियों पर 2155 स्थान, झीलों पर 558, तालाबों पर 141, टैंकों पर 102, भूजल पर 1233 स्थान और अन्य जल निकायों पर 547 स्थान

शामिल हैं। हालाँकि, एनडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत पाली, बालोतरा और जोधपुर जिलों तथा राजस्थान के भांडू गांव में बांडी, लूनी और जोगरी नदियों में कोई निगरानी स्थान नहीं है।

बालोतरा, जोधपुर और पाली में कपड़ा संबंधी इकाइयाँ: राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान के बालोतरा, जोधपुर और पाली में कुल 1,831 कपड़ा संबंधी इकाइयाँ हैं। 1831 कपड़ा संबंधी इकाइयों में से 1,674 इकाइयाँ सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र (सीईटीपी) से जुड़ी हैं और 157 इकाइयों के पास अपना अपशिष्ट शोधन संयंत्र है। जिलों में संचालित कपड़ा संबंधी इकाइयों का विवरण नीचे दिया गया है:

ज़िला	कपड़ा संबंधी इकाइयों की संख्या		
	कुल	सीईटीपी से जुड़ा हुआ	जिसका स्वयं का ईटीपी है
बालोतरा	961	834	127*
जोधपुर	306	304	02
पाली	564	536	28
कुल	**1,831**	**1,674**	**157**

नोट: ज़ेडएलडी - शून्य तरल निर्वहन बालोतरा में सभी *127 इकाइयों के पास अपना स्वयं का ईटीपी है जो ज़ेडएलडी के साथ काम कर रहे हैं।

बालोतरा, जोधपुर और पाली जिलों में सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र: राजस्थान राज्य में कुल 15 सीईटीपी संचालित हैं, जिनकी कुल डिजाइन क्षमता 134.2 एमएलडी है और वर्तमान परिचालन क्षमता 60.15 एमएलडी (44.8%) है। 15 सीईटीपी में से 3 बालोतरा में, 4 पाली में और 2 जोधपुर में हैं, इन तीन जिलों में कुल 9 सीईटीपी हैं जिनकी कुल डिजाइन क्षमता 110 एमएलडी और परिचालन क्षमता 51.2 एमएलडी है। 9 सीईटीपीएस में से 3 सीईटीपी ने शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) सिस्टम उपलब्ध कराया है। तीन जिलों में संचालित सीईटीपी का विवरण नीचे दिया गया है:

ज़िला	सीईटीपी का नाम	क्षमता एमएलडी में		निपटान का तरीका	अनुपालन स्थिति	अनुपालन न करने पर की गई कार्रवाई
		बनाया गया	संचालित			
बालोतरा	सीईटीपी बालोतरा	18	12	ज़ेडएलडी	अनुपालन कर रहे हैं	----
	सीईटीपी जसोल	6.5	1.5	----	अनुपालन कर रहे हैं	----
	सीईटीपी बिठूजा	30	5	----	अनुपालन कर रहे हैं	----

पाली	सीईटीपी संख्या 02	8.4	8.4	----	अनुपालन कर रहे हैं	----
	सीईटीपी संख्या 04	12	4.5	----	अनुपालन नहीं कर रहे हैं	एससीएन
	सीईटीपी संख्या 06	12	8	ज़ेडएलडी	अनुपालन कर रहे हैं	
	मेसर्स नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड	3.1	0.2	ज़ेडएलडी	अनुपालन नहीं कर रहे हैं	एससीएन
जोधपुर	मैसर्स जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट (टेक्सटाइल वर्टिकल)	18.5	11	----	अनुपालन नहीं कर रहे हैं	एससीएन
	मैसर्स जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट (स्टील वर्टिकल)	1.5	0.6	-----	अनुपालन नहीं कर रहे हैं	एससीएन
	कुल	**110**	**51.2**			

नोट: ज़ेडएलडी- शून्य तरल निर्वहन, एससीएन - कारण बताओ नोटिस

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि पाली और जोधपुर जिलों में 4 सीईटीपी अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए आरएसपीसीबी द्वारा कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था।

इस मंत्रालय ने कपड़ा संबंधी उद्योगों के लिए और सीईटीपी से निकलने वाले अपशिष्ट को विनियमित करने के लिए दिनांक 10.10.2016 की अधिसूचना सा.का.नि. 978 (अ) के तहत कपड़ा संबंधी उद्योगों के लिए निर्वहन मानकों को अधिसूचित किया है और दिनांक 01.01.2016 की अधिसूचना का.आ.4 (अ) के तहत सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्रों के लिए निर्वहन मानकों को अधिसूचित किया है।

इसके अलावा, माननीय एनजीटी ने इस विषय पर विशेष रूप से कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं, हालांकि माननीय एनजीटी द्वारा मामले के आधार पर आदेश/निर्देश जारी किए जाते हैं।

(ङ) और (च):

जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

• औद्योगिक प्रदूषण का विनियमन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए), 1986 के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से संबंधित एसपीसीबी और पीसीसी द्वारा सहमति तंत्र और प्राधिकरण के तहत कार्यान्वित किया जाता है।

• पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-I (विभिन्न 79 उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक) और अनुसूची-VI (सामान्य निर्वहन मानक) के अंतर्गत उद्योग विशिष्ट मानक अधिसूचित किए गए हैं ताकि जल निकायों में प्रदूषण को रोका जा सके।

• सीपीसीबी, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और खतरनाक अपशिष्ट उत्सर्जन के एक घटक, प्रदूषण सूचकांक (पीआई) के आधार पर उद्योगों और अन्य क्षेत्रों को लाल, नारंगी, हरे और सफेद श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। सीपीसीबी ने जल अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) और वायु अधिनियम, 1981 के तहत जारी दिनांक 07.03.2016 के निर्देशों के तहत सभी एसपीसीबी/पीसीसी को सीपीसीबी के वर्गीकरण को अपनाने और लागू करने का निदेश दिया। इस वर्गीकरण का उपयोग विनियामकों द्वारा सहमति प्रबंधन, इकाई का स्थान निर्धारण, प्रदूषण नियंत्रण एवं निगरानी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने आदि के लिए किया जाता है। अब तक सीपीसीबी ने 257 औद्योगिक क्षेत्रों को वर्गीकृत किया है, यानी 63 को लाल, 91 को नारंगी, 65 को हरे और 38 को सफेद श्रेणी में रखा गया है। किसी भी नए/छूटे हुए क्षेत्र को एसपीसीबी/पीसीसी अपने स्तर पर वर्गीकृत कर सकता है।

• सीपीसीबी ने उच्च प्रदूषण क्षमता वाले उद्योगों, सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्रों की सभी 17 श्रेणियों को स्व-नियामक तंत्र और प्रदूषण के स्तर पर निरंतर निगरानी के माध्यम से निगरानी तंत्र को मजबूत करने और प्रभावी अनुपालन के लिए ऑनलाइन सतत अपशिष्ट/उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निर्देश दिया है। ओसीईएमएस के माध्यम से उत्सर्जित व्यावसायिक अपशिष्ट और उत्सर्जन के पर्यावरण प्रदूषकों के वास्तविक समय मूल्यों को 24x7 आधार पर सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को ऑनलाइन प्रेषित किया जाता है। केंद्रीय सॉफ्टवेयर डेटा को संसाधित करता है और यदि प्रदूषक पैरामीटर का मान निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों या अन्य अनियमितताओं से अधिक होता है, तो एक स्वचालित एसएमएस अलर्ट उत्पन्न होता है ताकि उद्योग द्वारा तुरंत सुधारात्मक उपाय किए जा सकें और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी/सीपीसीबी द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नक 1

पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के एसएमआई और जल निकायों के आरआरआर घटक के तहत जारी राज्यवार केंद्रीय सहायता (सीए)

(करोड़ रुपए में)

क्र सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश			2.70						
2	अरुणाचल प्रदेश	20.52	10.26	22.25	17.49	104.69	142.73	41.95	138.70	77.27
3	असम	87.86	375.77	428.34	414.06	205.62	275.20	71.54	52.09	99.79* +25.31
4	बिहार			38.54	27.96	10.65	8.62	11.76	7.78	
5	गुजरात			8.81				3.16	2.57	
6	हिमाचल प्रदेश	1.13	49.28	66.20	147.91	59.80	60.31	40.50	142.30	38.63
7	जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख		104.48	31.71	68.58	97.59				
8	कर्नाटक							30.00	37.50	37.50*
9	मणिपुर	20.00	22.23		24.26	69.26	75.98	26.46	23.55	
10	मेघालय		47.1	31.50	22.22	57.07	100.47	46.52	74.21	57.11
11	मिजोरम		8.25		11.34	7.65	4.66		0.81	
12	नगालैंड	18.50	9.25	35.33	20.46	35.99	40.89	21.01	92.71	50.30
13	ओडिशा		3.00			34.54		11.10	56.25	47.635*
14	राजस्थान		14.30		11.96			9.30	10.46	21.50
15	सिक्किम		9.00	16.61	9.13	9.33	9.71	12.88	29.25	
16	तमिलनाडु			7.03	16.75	1.25	17.43	27.70	49.60	5.26
17	तेलंगाना		59.68							
18	त्रिपुरा				9.00					
19	उत्तराखंड		32.40	61.00	31.78		29.63	17.20	93.40	26.90* +49.95
	कुल	**148.0**	**745**	**750**	**832.9**	**693.44**	**765.63**	**371.08**	**811.19**	**537.15**

**सीए रिलीज राशि राज्य सरकार को जारी की गई मूलै मंजूरी के रूप में है*

*****